

कार्यालय वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उत्तर प्रदेश, गोण्डा।

पत्रांक- 3850 /33-1, दिनांक, गोण्डा, मार्च 12 /2024

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।(प्रस्ताव संख्या-FP/UP/ ROAD/ 147236/ 2021)

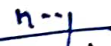
संदर्भ:-
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सादर अवगत कराना है कि बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के किमी० 4.150 से किमी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में प्रस्ताव आपको भेजा गया था, जिस पर भारत सरकार द्वारा आपत्तियाँ लगायी गई थी, जिसका निराकरण करने हेतु इस कार्यालय द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को निर्देशित किया गया। तत्क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा ने अपने पत्रांक-2939/33-1, दिनांक 06.03.2024 व प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच ने अपने पत्रांक-4248/2-6, दिनांक 10.02.2024 तथा प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती ने अपने पत्रांक-2194/33-1, दिनांक 02.03.2024 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख संशोधित कर पैनड्राई सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है।

अतः प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख व पैनड्राई संलग्नकर आपकी सेवा में सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक:-प्रस्ताव से सम्बन्धित अभिलेख की छायाप्रति व पैनड्राई।

भवदीय,


(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

पत्रांक- /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:-प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा, बहराइच एवं श्रावस्ती वन प्रभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(मनोज कुमार सोनकर)

वन संरक्षक,

देवीपाटन वृत्त, उ०प्र०, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

पत्रांक-2539 /33-1, दिनांक गोण्डा, मार्च 06 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवपाटन वृत्त गोण्डा।

विषय:-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस0एच0-30 के किमी0 4.150 से किमी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 3354 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का पत्रांक-1334/11-सी-FU/UP/Road/147236/2021, दिनांक 24.11.2023 तथा आपका पत्रांक-2150/33-1, दिनांक 24.11.2023 पत्रांक-2663/33-1, दिनांक 02.01.2024, पत्रांक-3102/33-1, दिनांक 02.02.2024

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ ने अपने संदर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता वाह्य सहायित परिियोजना खण्ड, लो0नि0वि0 बहराइच ने अपने पत्रांक-314/3सी/2023, दिनांक 06.12.2023 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है:-

क्र0सं0	कमियाँ	आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति स0-01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के संशोधित के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव सलग्न किये जाने का उल्लेख है, किन्तु सलग्न नहीं किया गया है।	सलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-06 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22.11.2023, प्रभागीय वनाधिकारी कैंगूर वन्य जीव प्रभाग के पत्र दिनांक 30.09.2023, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच के पत्र दिनांक 27.10.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती के पत्र दिनांक 01.11.2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की संख्या गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 09.10.2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट-2 के आधार पर तीन वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।	बाधक वृक्षों की गलत संख्या श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती से सम्बन्धित है। गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा के अन्तर्गत 24897 वृक्ष बाधित हो रहे हैं जो वैज्ञानिक नाम सहित ऑनलाइन पार्ट-2 पर सही अंकित है।
3	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
4	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-08 के निराकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नहीं किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
5	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्त। एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
6	उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट-2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।

VFC
आ-का करे,
6/3/24

पत्रांक- /अ उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायित परिियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच को उनके पत्रांक-314/3सी/2023, दिनांक 06.12.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(पंकज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गोण्डा वन प्रभाग, गोण्डा।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।
पत्रांक 4248/2-6, दिनांक, बहराइच, फरवरी, /० /2024.

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोण्डा।

MF विषय:-

आ.का.का.

2-13/24

संदर्भ :-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1334/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 24-11-2023 तथा आपका पत्रांक-2150/33-1, दिनांक 24-11-2023, पत्रांक-2663/33-1, दिनांक 02-01-2024, पत्रांक-2874/33-1, दिनांक 16-01-2024 तथा पत्रांक-3102/33-1, दिनांक 02-02-2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच ने अपने पत्रांक-11/3सी/2043, दिनांक 10-01-2024 द्वारा इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कमियाँ	आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति सं०-01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के संशोधित के०एम०एल० फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं०-6 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22-11-2023, प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि० 30-09-2023, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच के पत्र दि० 27-10-2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि० 01-11-2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की संख्या गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि० 09-10-2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं आनलाइन पार्ट-2 के आधार पर तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।	बाधक वृक्षों की गलत संख्या श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती से सम्बन्धित है। बहराइच वन प्रभाग, बहराइच के अन्तर्गत 2250 वृक्ष बाधित हो रहे हैं जो वैज्ञानिक नाम सहित आनलाइन पार्ट-2 पर सही अंकित है।
3	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र	प्रपत्र अपलोड किया गया है।

	आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है।	
4	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-08 के निराकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नहीं किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
5	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
6	उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट-2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय



(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....अ/दिनांकित ।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- (1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
- (2) प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

पत्रांक.....ब/दिनांकित ।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच को उनके पत्रांक-11/3सी/2043, दिनांक 10-01-2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(संजीव कुमार)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराइच वन प्रभाग, बहराइच।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

पत्रांक- 21/4 /33-1, दिनांक, श्रावस्ती, मार्च, 02 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
देवीपाटन वृत्त,
उ०प्र०, गोण्डा।

विषय:-

V.F.C
गो का-कर

V.F.C
1/3/24

संदर्भ :-

बहराइच-गोण्डा मार्ग एस०एच०-30 के कि०मी० 4.150 से कि०मी० 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराइच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे० संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन एवं श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे० संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 6294 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ का पत्रांक-1334/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021, दिनांक 24-11-2023 तथा आपका पत्रांक-2150/33-1, दिनांक 24-11-2023, पत्रांक-2663/33-1, दिनांक 02-01-2024, पत्रांक-2874/33-1, दिनांक 16-01-2024 तथा पत्रांक-3102/33-1, दिनांक 02-02-2024।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्रों के क्रम में निवेदनपूर्वक अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ ने अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा आपत्ति लगायी है, जिसका निराकरण कर कार्यालय अधिशासी अभियन्ता बाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो०नि०वि०, बहराइच द्वारा प्रेषित किया गया है। उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी बिन्दुवार आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :-

क्र०सं०	कमियाँ	आख्या
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति सं०-01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के संशोधित के०एम०एल० फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं०-6 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22-11-2023, प्रभागीय वनाधिकारी कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि० 30-09-2023, प्रभागीय वनाधिकारी बहराइच के पत्र दि० 27-10-2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि० 01-11-2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की संख्या गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि० 09-10-2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं आनलाइन पार्ट-2 के आधार पर तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।	श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती के अन्तर्गत 6294 वृक्ष ही बाधित हो रहे हैं, जो वैज्ञानिक नाम सहित आनलाइन पार्ट-2 पर सही अंकित है। उक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक-1045/33-1, दिनांक 1-11-2023 द्वारा पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। बहराइच वन प्रभाग, बहराइच ने अपने कार्यालय के पत्रांक-4248/2-6, दिनांक 10-02-2024 द्वारा पत्र के विषय में श्रावस्ती वन प्रभाग में बाधक 8546 वृक्षों के स्थान पर 6294 वृक्ष जो सही हैं, को संशोधित कर दिया गया है।

3	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी वहराइच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
4	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-08 के निराकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नहीं किया गया है।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।
5	भारत सरकार की आपत्ति संख्या-09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
6	उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट-2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।	प्रपत्र अपलोड किया गया है।

अतः उक्त बिन्दुओं की आपत्तियों का निराकरण कर आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय

(धर्मेन्द्र नाथ सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
श्रावस्ती वन प्रभाग, श्रावस्ती।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराईच

पत्रांक 314/30/2022

दिनांक 06/12/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बहराईच/गोण्डा/श्रावस्ती वन प्रभाग,
बहराईच/गोण्डा/श्रावस्ती।

विषय:- बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद मार्ग (एस0एच0-30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग सुदृढीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन, गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 32.0352 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 24897 वृक्षों के पातन तथा श्रावस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 35.356 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं बाधक 8546 वृक्षों के पातन अर्थात् कुल 82.7212 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 33441 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-कार्यालय मुख्य वनसंरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0

लखनऊ का पत्रांक 1334/11-सी-FP/UP/Road/147236/2021 dt. 24.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के द्वारा बहराईच-गोण्डा-फैजाबाद (एस0एच0-30) के कि0मी0 4.150 से कि0मी0 64.282 तक मार्ग के सुदृढीकरण में बहराईच वन प्रभाग में प्रभावित 15.33 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 2250 वृक्षों के पातन की अनुमति के क्रम में नोडल अधिकारी, लखनऊ द्वारा लगायी गयी अपात्तियों का निराकरण का आनलाइन पार्ट-02 में अपलोड करने की कृपा करें। आख्या निम्नवत है:-

क्र0सं0	बिन्दु	आख्या
1	भारत सरकार की आपत्ति सं0-01 व 02 के निराकरण के क्रम में आपके द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के संशोधित के0एम0एल0 फाइल की पेनड्राइव संलग्न किया जाने का उल्लेख है, किन्तु संलग्न नहीं किया गया है।	संलग्न कर प्रेषित है।
2	भारत सरकार की आपत्ति सं0-06 के निराकरण के क्रम में श्रावस्ती वन प्रभाग से सम्बन्धित बाधक वृक्षों की संख्या वन संरक्षक के पत्र दिनांक 22.11.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्यजीव प्रभाग के पत्र दि0 30.09.2023, प्रभागीय वनाधिकारी, बहराईच के पत्र दि0 27.10.2023 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, श्रावस्ती वन प्रभाग के पत्र दि0 01.11.2023 के कुल योग में बाधक वृक्षों की सं0 गलत अंकित है। इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग के पत्र दि0 09.10.2023 में संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं ऑनलाइन पार्ट-2 के अधार पर तीनों वन प्रभागों में बाधक वृक्षों को भिन्न-भिन्न बताया गया है। अतः तीनों वन प्रभागों में सही बाधक वृक्षों का वैज्ञानिक नाम सहित सूची ऑनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें तथा सही संख्या समस्त पत्रों एवं आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड करें।	बहराईच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है।
3	भारत सरकार की आपत्ति सं0-07 के निराकरण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी बहराईच, गोण्डा एवं श्रावस्ती द्वारा सत्यापित मक डिस्पोजल प्रमाण पत्र आनलाइन पार्ट-2 में अपलोड नहीं किया गया है।	बहराईच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है।
4	भारत सरकार की आपत्ति सं0-08 के निरीकरण के क्रम में तीनों प्रभागों का रोड साइड वृक्षारोपण स्कीम अपलोड नहीं किया गया है।	बहराईच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है।

5	भारत सरकार की आपत्ति-09 के निराकरण के क्रम में सिंचाई विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड नहीं किया गया है।	भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति (स्टेज-01) के उपरान्त ही ठेकेदार को निर्माण कार्य अवार्ड किया जायेगा तदोपरान्त ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत Workable Drawing पर ही सिंचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जायेगा।
6	उपरोक्त समस्त कमियों का निराकरण के उपरान्त भारत सरकार की आपत्तियों का पूर्ण समेकित निराकरण ऑनलाइन पार्ट-2 में अनिवार्य रूप से अपलोड करें।	बहराइच, गोण्डा व श्रावस्ती वन प्रभाग द्वारा अपलोड किया जाना है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराइच।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2. वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, गोण्डा।
3. मुख्य अभियन्ता, वाह्य सहायतित परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
4. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक योजना वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
5. टीम लीडर एजिस इण्डिया कन्सल्टिंग इंजीनियर्स प्र0लि0, लखनऊ।
6. श्रीमती ज्योति कटियार, सहायक अभियन्ता वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड, लो0नि0वि0, बहराइच।

अधिशाली अभियन्ता,
वाह्य सहायतित परियोजना खण्ड,
लो0नि0वि0, बहराइच।